आदेश की क्रम-संख्या औरतारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(5)

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

18.01.2018

Misc. Appeal Case No. - 01/2015-16

मो0 सफाउल्लाह
बनाम
अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा।

प्रस्तुत वाद मो0 सफाउल्लाह पिता– स्व0 एतवारी मियॉ, ग्राम–कबरी, पंचायत–डुमरिया, थाना–करमाटॉड, अनुमंडल एवं जिला–जामताड़ा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के वाद licence cancellation (supply) case no. 04/12-13 में दिनांक 06.06.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया।

मूल रूप से उक्त अनुज्ञप्ति अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के आदेश दिनांक 11.02.2013 द्वारा अभिलेख जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्द संख्या 04/2012–13 में अनज्ञप्ति सं0 42/92 को रद्द की गई थी, जिसमें मूल आरोप निम्न थे–

1. निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना,
2. निर्धारित राशि से उपभोक्ता से ज्यादे राशि की वसूली करना,
3. अवैध राशन कार्ड बनवाना।

आरोप मुलतः गाँव के उनके उपभोक्ताओं के द्वारा लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि वे हमेशा उन्हें कम सामान देते तथा ज्यादा पैसे की वसूली करते है, जो अभिलेख का भाग है।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से इसकी जाँच कराई गई तथा जाँच में आरोप सही पाये गये, जिसके आधार पर उपरोक्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

उक्त आदेश के खिलाफ मो0 सफाउल्लाह द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा के न्यायालय जामताड़ा में अपील किया गया । जिसमें उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा यह निदेश दिया गया कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन स्पष्ट नही है। उनके द्वारा निदेश दिया गया कि BPL/APL कार्ड सत्यापित कर लें कि वे जाली तो नही हैं। यदि जाली नही है तो P.D.S. dealer को पुनः कार्य करने की अनुमति चेतावनी के साथ दे दें।

उक्त आलोक मे इस वाद की सुनवाई के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इसकी जाँच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी करमाटाँड़ द्वारा काराई गई जिसमें प्रतिवेदन निम्न है–

क0सं0	कार्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	बी0पी0 एल0 नं0	विक्रेता से संबंध
1.	सगीर अंसारी	मो0 सफाउल्लाह	122	पुत्र
2.	कबीर अंसारी	मो0 सफाउल्लाह	103	पुत्र
3.	एतवारी मियाँ	बुधू मियाँ	106	पिता
4.	अलगुन बीबी	एतवारी मियाँ	190	बहन

Scanned with CamScanner

5.	हारूण मियाँ	एतवारी मियाँ	102	भाई
6.	हाजरा बीबी	हारूण मियाँ	105	भाई की पत्नी
7.	इसराईल मियाँ	हारूण मियाँ	103	भतीजा
8.	असलम मियाँ	हारूण मियाँ	156	भतीजा

उन्होंने स्पष्ट किया है कि मो0 सफाउल्लाह के दो पुत्र सगीर अंसारी एवं कबीर अंसारी के नाम पर लाल कार्ड बना है एवं जब लाल कार्ड बना था तब वे माईनर थे जो इनके आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि से स्पष्ट है। इसी विक्रेता के भाई हारूण मियाँ एवं उनकी पत्नी हाजरा बीबी के नाम से भी एक लाल कार्ड बना है। पति, पत्नी दोनों के लाल कार्ड होना गलत है इतना ही नही हारूण मियाँ के एक पुत्र असलम मियाँ के नाम पर भी एक लाल कार्ड बनाया गया, जिसमें अंकित जन्म तिथि 1993 के अनुसार लाल कार्ड बनने के समय वे माईनर थे। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी करमाटॉड़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता के कई माईनर सदस्यों के नाम से लाल कार्ड बना कर इसका गलत उपयोग बिक्रेता द्वारा किया गया है।

ऐसी परिस्थिति में अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, प्रखण्ड आपुर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के वाद licence Cancellation (supply) case 04/12-13 में दिनांक 06.06.2015 को पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा को सूचना देते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाय।

18/1/18

उपायुक्त

जामताड़ा।

DB/92 dt-20.1.18

Scanned with CamScanner